

12 गीन बाएर जुर्माना लगाने पर जा सकती है कर्मचारी की नौकरी: टीसी गुप्ता

राइट टू सर्विसेस एक्ट से आणगी पारदर्शिता

लापरवाही बटवने पर 250 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

हरियाणा न्यूज 24 अंबाला



अंबाला। जनकारी देते टीसी गुप्ता व मौजूद अधिकारी व कर्मचारी।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पत्रिका की संशुद्धि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। जुर्माना लगाना आयोग का उद्देश्य नहीं है बल्कि सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। टीसी गुप्ता आज एक्सडी कालेज छावनी में हरियाणा सेवा का अधिकार बैठक की एक

दिवसीय कार्रवाई में वतीर मुख्य अतिथि सम्बोधन में बोले रहे थे। मुख्य आयुक्त गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की थी उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में वतीर मुख्य आयुक्त के तौर पर कमान सभाली है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ अधिकारों के बारे में लोगों में सतर्कता एवं जागरूकता आए

इसके दृष्टिगत अवगत करवाकर लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जिनमें से 277 सेवाएं अंतोदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। सरकारी सेवाओं का जहां हमें

अच्छा काम करने वाले कर्मचारी होंगे सज्जानित
टीसी गुप्ता ने यह भी बताया कि आयोग द्वारा सरकारों, योजनाओं का लाभ पत्रिका की संशुद्धि के साथ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता से दिलवाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पहला पत्र भी देने का काम किया जाएगा और जिस अधिकारी एवं कर्मचारी को इस कार्य में लापरवाही वाजद आती है उसे अप्रशस्त पत्र देने का काम किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगमन को सरकारी सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिलवाना सुनिश्चिती करें। टीसी गुप्ता ने इस मौके पर यह भी बताया कि सभी जिलों में आयोग द्वारा बैठकें लेकर समीक्षा की जा रही है।

समय रहते सम्बन्धित प्रार्थी को जिन सेवाओं का लाभ लोगों को लाभ दिलवाना है वहीं इस बात का उपलब्ध करवाया गया है उसमें भी विशेष ध्यान रखना है कि पत्रिका संशुद्धि स्वतंत्र कितना है इस विचक्षण स्तर में बढ़तीतरी न हो। बात पर भी फीस करना है।

काम में तेजी आये

अंतोदय सरल पोर्टल पर जिनकी भी सेवाएं अधिसूचित हैं वह व्यक्ति के जमाने से जुड़ा हुई है। अधिकारियों को भी सुनिश्चिती करवाना है कि यह सभी सुविधाएं सुलभता से प्रार्थी को मिले ताकि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने उपर्युक्त विषयों सिद्ध के नेतृत्व में जिनके विभागीय जिलानों द्वारा लोगों को सेवारत उपलब्ध करवाने के दृष्टिकोण 9.5 सेकंड मिलने पर नियम कार्यों को सफलता की। टीसी गुप्ता ने बताया कि आयोग प्रार्थी को शिकायत का समयबद्ध तरीके से विकल्प न होने पर नियमों के तहत 20 हजार तक का जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही प्रार्थी को 5000 की राशि भी क्षतिपूर्ति सकता है। अधिकारियों को कहा कि वे हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर से कार्य करने लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाने में रूढ़ि देखाने उनका कार्य को तेजी से करें।